ICSSR Sponsored
ISSN: 2319-9997
Journal of Nehru Gram Bharati University, 2025; Vol. 14 (I):258-266

जनहित याचिका: न्याय तक पहुंच का एक सशक्त माध्यम

आनन्द शर्मा एवं सियाराम शुक्ल
विधि विभाग,
नेहरू ग्राम भारती, मा०वि०वि०, प्रयागराज
Corresponding author Email: advanandsharma05@gmail.com

Received: 08.02.2025 Revised:02.04.2025 Accepted: 25.04.2025

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र जनहित याचिका को न्यायिक सक्रियता के एक प्रभावी उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ करोड़ों लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, वहाँ जनहित याचिका एक ऐसा माध्यम बनकर उभरी है जिससे समाज के कमजोर वर्गों को न्याय मिल सका है। यह याचिका न्यायपालिका को नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है।

इस शोध पत्र में जनहित याचिका के ऐतिहासिक विकास, प्रमुख न्यायिक निर्णयों, सामाजिक प्रभाव और विधिक आलोचनाओं का गहन विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह भी अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार जनहित याचिका का कभीकभी - दुरुपयोग भी होता है, जिससे न्यायपालिका की भूमिका पर प्रश्न उठते हैं।

अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जनहित याचिका एक शक्तिशाली और संवेदनशील माध्यम है, लेकिन इसके प्रयोग में संतुलन, जिम्मेदारी और पारदर्शिता आवश्यक है, ताकि यह न्याय के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

मुख्य शब्द *-जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, भारतीय संविधान, न्यायपालिका, जनहित, सामाजिक परिवर्तन, न्यायिक प्रक्रिया।*

परिचय

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और संगठित न्यायपालिका शासन का तीसरा मुख्य स्तंभ होती है। भारतीय न्यायपालिका ने संविधान और विभिन्न विधिक प्रावधानों की व्याख्या करके न केवल समाज के विधिक ढांचे को आकार देने का कार्य किया है, अपितु नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हुए लोकतंत्र को भी सशक्त बनाया है।

न्यायपालिका का प्रमुख कार्य संविधान की रक्षा करना है, और यह कार्य वह अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से करती है। जब न्यायालय इस शक्ति का उपयोग करता है तथा साथ ही साथ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करता है, तब न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सामने आती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें

न्यायालय जनहित से जुड़े मुद्दों पर स्वतः या किसी तीसरे पक्ष की ओर से याचिका प्राप्त होने पर हस्तक्षेप करता है।

जनहित याचिका भारतीय न्याय व्यवस्था में एक नई किन्तु प्रभावशाली अवधारणा के रूप में सामने आई है, जिसका उद्देश्य व्यापक जनहित की रक्षा करना है। इसके अंतर्गत, समाज का कोई भी व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, चाहे वह स्वयं उस समस्या से प्रभावित न हो। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के उस वर्ग को न्याय दिलाना है, जो साधनों की कमी के कारण न्यायालय तक पहुँच पाने में असमर्थ होता है।

भारतीय संविधान देश का मूलभूत कानून है, और कार्यपालिका तथा विधायिका को किसी भी स्थिति में इसकी आधारभूत संरचना"[vi]को नष्ट " करने का अधिकार नहीं है। जनहित याचिका की अवधारणा की जड़ें रोमन कानून की "Actio Popularis" प्रणाली में पाई जाती हैं, जहाँ समाज का कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित से जुड़ी क्षति के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता था, ताकि सार्वजनिक संपत्ति या धार्मिक अथवा धार्मिक न्यासों की रक्षा हो सके।

इस प्रकार, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका भारतीय न्यायपालिका की वह शक्ति है जो न केवल संविधान की रक्षा करती है, अपितु समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाकर लोकतांत्रिक ढांचे को भी सशक्त बनाती है।

शोध प्रणाली

प्रस्तुत शोध पत्र ड्राक्टिनल तथा आलोचनात्मक पद्धति पर आधारित होगा। जिसके अन्तर्गत शोधार्थी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों का अध्ययन किया जायेगा जो जनहित याचिका विषय से सम्बन्धित है। साथ ही सम्बन्धित अधिनियमों, पुस्तकों, प्रकाशिक लेखों तथा अन्य विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का द्वितीयक स्त्रोत के रूप में सहायता ली जायेगी।

जनहित याचिका का अर्थ

जनहित याचिका न्याय प्राप्ति की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसने विशेष रूप से उन निर्धन और वंचित व्यक्तियों के लिए न्याय के द्वार खोले हैं जो निर्धनता या विधि की अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों की रक्षा हेतु स्वयं न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु कोई भी अन्य व्यक्ति या संस्था न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यही जनहित याचिका की मूल अवधारणा है।

"जनहित"शब्द का तात्पर्य समाज के सामान्य जनों के कल्याण, व्यापक हित तथा जनसाधारण की भलाई से है। वहीं का अर्थ है न्यायालय में किया गया वह "याचिका" विधिक प्रयास, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति स्वयं या समाज से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर न्याय की गुहार लगाता है। जनहित याचिकाएं उन मामलों से संबंधित होती हैं, जो समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं, चाहे वह आर्थिक हित का प्रश्न हो या किसी विधिक अधिकार या उत्तरदायित्व से जुड़ी समस्या हो। जनहित याचिका एक ऐसा अधिकार है जिसे न्यायपालिका द्वारा नागरिकों को न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत प्रदान किया गया है, ताकि वे अपने या समाज के अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय का दरवाज़ा

खटखटा सकें।[vii]

जनहित याचिका को एक किफायती और सुलभ न्याय साधन माना जाता है क्योंकि इसमें न्यायालय शुल्क न्यूनतम होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त व्यापक मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण तथा अन्य सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाना है।

न्यायिक सक्रियता ने "लोकस स्टैंडी" अर्थात् "सुने जानें के अधिकार" के परंपरागत नियम में लचीलापन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले केवल वही व्यक्ति याचिका दाखिल कर सकता था, जो स्वयं सीधे तौर पर प्रभावित होता था, किंतु अब न्यायालयों ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए किसी भी संवेदनशील नागरिक को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है, जो समाज के हित के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करता है।

न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने एक ऐतिहासिक निर्णय में जनहित याचिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि "जनहित याचिका एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसमें याचिकाकर्ता, राज्य या कोई सार्वजनिक प्राधिकरण और न्यायालय मिलकर समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के संवैधानिक तथा विधिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं।"

इस प्रकार जनहित याचिका न केवल न्याय तक पहुंच का सशक्त माध्यम है, अपितु यह एक उत्तरदायी और संवेदनशील लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचायक भी है।

जनहित याचिका का ऐतिहासिक विकास

संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक के मध्य में जनहित याचिका का प्रारंभ माना जाता है। भारत में जनहित याचिका के विकास की नींव सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने 1970 के दशक के मध्य में रखी तथा 1980 के दशक में इसे विकसित किया गया। इस अवधि में उन्होंने लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियमों में संशोधन किया, जिससे कोई भी व्यक्ति जनहित में याचिका दायर कर सके, भले ही वह सीधे तौर पर पीड़ित न हो। साथ ही उन्होंने रिट याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाया, और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन व विधिक उपायों की माँग करने की प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाया।

जनहित याचिका का आरंभ मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुलभाई मामले से हुआ, जिसमें न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने पहली बार जनहित से संबंधित याचिका को स्वीकारा। इसके बाद अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम भारत सरकार वाद में एक अपंजीकृत श्रमिक संघ को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की गई। फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन कामगार यूनियन बनाम भारत संघ में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने लोकस स्टैंडी के नियमों में लचीलापन लाने के पीछे सामाजिक न्याय का तर्क प्रस्तुत किया। अंततः जनहित याचिका को पूर्ण पहचान एस०पी० गुप्ता बनाम भारत संघ[viii] मामले में मिली, जिसे भारत में जनहित याचिका का मील का पत्थर माना जाता है।

न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार, "यदि किसी व्यक्ति को, जो समाज के कमजोर या वंचित वर्ग से आता है, उसके साथ कोई विधिक क्षति हुई है और वह अपनी आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक स्थिति के कारण न्यायालय नहीं जा सकता, तो समाज का कोई भी व्यक्ति उसकी ओर से न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है।"[ix]

इस प्रकार, जनहित याचिका भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की सक्रियता का प्रतीक बन गई है, जिसने न केवल आम जनता को सशक्त किया, बल्कि शासन प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी भी बनाया।

जनहित याचिका से संबंधित सिद्धांत

जनहित याचिका दायर करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन आवश्यक होता है:

1. याचिकाकर्ता की उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत हित या निजी लाभ की।
2. याचिका किसी ऐसे मामले से संबंधित होनी चाहिए जो समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करता हो। व्यक्तिगत या निजी शिकायतें जनहित याचिका के अंतर्गत स्वीकार नहीं की जातीं।
3. न्यायालय के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी मामले में स्वयं संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में उस पर सुनवाई शुरू कर सकता है।
4. जनहित याचिका को दायर करने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी जागरूक नागरिक स्वयं याचिका दायर कर सकता है।
5. याचिका उस स्थिति में दायर की जा सकती है जब कोई सरकारी कर्तव्य या कार्य ऐसा हो जो नागरिकों के अधिकारों का हनन करता हो या उनके हितों को क्षति पहुंचाता हो।

इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनहित याचिका वास्तव में जनता के व्यापक हित के लिए हो, न कि किसी तुच्छ उद्देश्य या व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित ।

जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है?

कोई भी जागरूक और समाज के प्रति संवेदनशील नागरिक जनहित से जुड़े किसी भी मुद्दे पर न्यायालय का रुख कर सकता है। जनहित याचिका निम्नलिखित मंचों पर दायर की जा सकती है:

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय में।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 - उच्च न्यायालय में।
3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 मजिस्ट्रेट के न्यायालय में।

यद्यपि, याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना आवश्यक

होता है कि उसकी उसका उद्देश्य सद्भावनापूर्ण है और वह वास्तव में जनहित की रक्षा के उद्देश्य से याचिका दायर कर रहा है, न कि किसी तुच्छ या निजी हित के लिए।

जनहित याचिका के लाभ

जनहित याचिका समाज में व्याप्त अन्याय और अत्याचार को दूर करने का एक प्रभावी उपकरण है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति चाहे वह स्वयं प्रभावित हो या नहीं जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु न्यायालय का रुख कर सकता है। यह समाज में परिवर्तन लाने और समाज में व्याप्त अत्याचारों को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है। यह व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के अधिकारों को स्थापित करने और उन्हें लागू कराने का एक साधन है। यह लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनहित याचिका के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक हो जाती है, जिसमें जनता की भागीदारी होती है। यह एक किफायती विधिक प्रक्रिया है, क्योंकि जनहित याचिका दाखिल करने में केवल नाममात्र का न्यायालय शुल्क देना होता है।

यद्यपि भारत में जनहित याचिका का आरंभ एक छोटे स्तर पर हुआ था, किंतु कालान्तर में इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने नीतिगत मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की सक्रियता में वृद्धि हुई। यह एक सुलभ और किफायती उपाय है, जिससे वे लोग भी न्याय प्राप्त कर सकते हैं जो न्यायालय की प्रक्रिया को वहन करने में सक्षम नहीं हैं। जनहित याचिका सार्वजनिक उद्देश्य से दायर की जाती है, इसलिए यह व्यक्तिगत हित नहीं अपितु समाज के सामूहिक हित की रक्षा करती है, जिससे सामाजिक भलाई सुनिश्चित होती है।

जनहित याचिका की कमियाँ

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में के दशक से 1990प्रारंभ हुआ जनहित याचिका का दुरुपयोग अब उस स्तर तक पहुँच चुका है जहाँ यह स्वयं उस उद्देश्य को ही कमजोर करने लगा है, जिसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अन्य शब्दों में कहा जाए तो, जनहित याचिका की उजली छवि पर धीरेधीरे इसके दुष्परिणामों की छाया गहराने लगी - है।अक्सर न्यायालयों में निरर्थक और तुच्छ याचिकाएँ दायर की जाती हैं। कई बार कोई मामला केवल व्यक्तिगत हित को उजागर करने के लिए लाया जाता है, न कि किसी वास्तविक सार्वजनिक हित के लिए। जनहित याचिका का दुरुपयोग इसलिए भी होता है क्योंकि हर ऐसा मामला जिसमें सार्वजनिक हित हो, वह आवश्यक नहीं कि जनहित याचिका के योग्य हो।

संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को कठोरता से लागू नहीं किया था। जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका कभी-कभी इस संवैधानिक संतुलन को भी प्रभावित कर देती है। इस प्रक्रिया में लचीलापन होने के कारण, कभी-कभी प्रतिवादी पक्ष को आरोपों को समझने और उन पर विशेष प्रतिक्रिया देने का पूर्ण अवसर नहीं मिल पाता। साथ ही, जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका नीतिगत निर्णयों और उनकी व्याख्या में भी हस्तक्षेप करने लगती है। कभीकभी न्यायिक - लोकलुभावनवाद की आशंका भी उत्पन्न होती है, जहाँ न्यायिक निर्णय जनभावनाओं को

संतुष्ट करने के उद्देश्य से लिए जा सकते हैं।

जनहित याचिका की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसे एक सामान्य प्रक्रिया न बनने दिया जाए, इसे एक गंभीर विधिक उपाय के रूप में ही अपनाना चाहिए।

भारत में जनहित याचिका से संबंधित पांच ऐतिहासिक मामले

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य[x]

यह वाद भारत के न्यायिक इतिहास में एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में जाना जाता है, जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न के विरुद्ध एक मजबूत विधिक आधार प्रदान किया।

इस वाद में राजस्थान में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैररा एक सरकारी संगठनों द्वा- याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी। यह याचिका सामूहिक हित के रूप में प्रस्तुत की गई थी।प्रस्तुत मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए, जिन्हें आगे चलकर के रूप में जाना गया। ये दिशानिर्देश "निर्देश-विशाखा दिशा" नियोक्ताओ के लिए अनिवार्य कर दिए गए ताकि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यौन उत्पीड़न की परिभाषा में शामिल व्यवहारः

क) शारीरिक संपर्क और अवांछित प्रयास,
ख) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध,
ग) यौन भाव से युक्त टिप्पणियाँ,
घ) अश्लील सामग्री दिखाना,
ङ) अथवा कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैरमौखिक यौन व्यवहार।-

इन दिशानिर्देशों के अनुसार-, प्रत्येक नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए और उनके अधिकारों की रक्षा करे। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 294, के 509 और 354 अंतर्गत आरोप तय किए जा सकते हैं। यह निर्णय कार्यस्थलों पर महिलाओं की गरिमा हुआ। और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित

परमानंद कटारा बनाम भारत संघ[xi]

इस मामले में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई, जिसके अंतर्गत अस्पतालों और चिकित्सकीय स्टाफ द्वारा मेडिको- आपत्ति जताई लीगल मामलों में शीघ्र उपचार प्रदान ना करने तथा लापरवाही बरतने पर गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर निर्णय देते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया और कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए-, जिन्हें सभी अस्पतालों और डॉक्टरों को पालन करना अनिवार्य किया गया। न्यायालय ने कहा कि मानव जीवन की

रक्षा सर्वोपरि है, और किसी भी डॉक्टर का यह पेशेवर कर्तव्य है कि वह मरीज के जीवन की रक्षा को प्राथमिकता दे, चाहे वह सरकारी अस्पताल में कार्यरत हो या निजी अस्पताल में। यह कर्तव्य केवल डॉक्टरों तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह जिम्मेदारी पुलिस, नागरिकों और अन्य सभी लोगों पर भी समान रूप से लागू होती है कि वे किसी भी आपात स्थिति में घायल या पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करें। इस ऐतिहासिक निर्णय ने भारत में चिकित्सा सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाया और यह सुनिश्चित किया कि जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

जावेद बनाम हरियाणा राज्य[xii]

यह एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका थी, जिसमें हरियाणा राज्य के एक चुनावी प्रावधान की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। यह मामला हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, (1) 175 की धारा 1994और (1)177से संबंधित था, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक जीवित संतानें हैं, तो वह पंचायत के किसी भी पद के लिए अयोग्य होगा। इस कानून का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था, ताकि जनप्रतिनिधि संयमित प्रजनन व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करें और समाज के अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लें।

याचिकाकर्ता ने इस प्रावधान को अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार) का अतिक्रमण बताते हुए चुनौती दी। उनका तर्क था कि यह कानून व्यक्ति की यह स्वतंत्रता छीनता है कि वह कितने बच्चे चाहता है और इस आधार पर उसे चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित करता है।

यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को वैध और संविधान-सम्मत माना । न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान लोकहित में है, क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देता है और परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण विषय का समर्थन करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण न केवल राष्ट्रीय अपितु वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चिंता का विषय है, और इसे नियंत्रित करना राज्य का कर्तव्य है। यह कदम सतत विकास और जनहित की दिशा में एक उचित और आवश्यक पहल है।

हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य[xiii]

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान उन विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर केंद्रित किया गया, जो वर्षों से मुकदमे की प्रतीक्षा में जेलों में बंद थे और जिनकी हिरासत की अवधि उनके आरोपित अपराध की अधिकतम सजा से भी कहीं अधिक हो चुकी थी।

न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया कि शीघ्र विचारण का अधिकार प्रत्येक अभियुक्त का मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत संरक्षित है। इसके साथ ही, न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना भी राज्य का कर्तव्य है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक निर्णय में लगभग विचाराधीन 40,000

कैदियों की रिहाई का आदेश दिया, जिनकी हिरासत की अवधि उस सजा से अधिक हो चुकी थी, जो उन्हें उनके अपराध के लिए दी जा सकती थी।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ

यह भारत में दायर की गई सबसे प्रतिष्ठित जनहित याचिकाओं में से एक है। इस याचिका में कानपुर की चमड़ा फैक्ट्रियों द्वारा बिना शोधन किए गए गंदे पानी को सीधे गंगा नदी में छोड़ने पर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई थी।

पर्यावरणविद् एम.सी. मेहता द्वारा दायर की गई परमादेश रिट याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 50,000 से अधिक उद्योगों के विरुद्ध कठोर आदेश पारित किए जो गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे थे। न्यायालय ने चर्मशोधन शालाओं तत्काल बंद करने का आदेश दिया और यह शर्त रखी कि वे तभी पुनः संचालित की जाएंगी जब वे अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र स्थापित कर लेंगे। न्यायालय ने इस निर्णय में स्पष्ट किया कि पर्यावरण की सुरक्षा सर्वोपरि है और वायु व जल प्रदूषण के दुष्प्रभावों से इसे बचाना अत्यंत आवश्यक है। यह निर्णय भारत में पर्यावरणीय कानूनों की प्रवर्तन प्रक्रिया और जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का एक सशक्त उदाहरण माना जाता है।

निष्कर्ष

जनहित याचिका समाज में परिवर्तन लाने तथा आम लोगों की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी माध्यम बन चुकी है। यह विशेष रूप से उन वंचित और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में सहायक होती है, जो अपने संवैधानिक अधिकारों से अनजान रहते हैं। साथ ही, यह मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य भी करती है।

यद्यपि, समय के साथ जनहित याचिका के दुरुपयोग की प्रवृत्ति भी देखने को मिली है, जिसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता की उद्देश्य पूर्णतः सद्भावपूर्ण हो और वह व्यक्तिगत लाभ के बजाय व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए न्यायालय में आया हो।

इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों या प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा जनहित याचिका प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो, इस पर भी नियंत्रण आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पहले से ही लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे जनहित याचिकाओं के शीघ्र निपटान में बाधा आती है और जो इनके प्रभाव को कम कर देती है।

कई बार न्यायपालिका की अत्यधिक सक्रियता से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक शक्तियों का संतुलन भी प्रभावित होता है और न्यायिक लोकलुभावनवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इसलिए, यह आवश्यक है कि जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए विधिक नियमों और प्रक्रियाओं, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता या अन्य प्रचलित कानूनों के

तहत उपयुक्त सुरक्षा प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह सशक्त उपकरण अपने मूल उद्देश्य जनहित की रक्षा में कारगर बना रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1) पाण्डेय, जय नारायण 55 "भारत का संविधान"वाँ संस्करण 2023
2) राय कैलाश "प्रशासनिक विधि" सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, द्वितीय संस्करण
3) साठे, एस०पी० ज्युडिशियल" एक्टिविज्म इन इण्डियाआक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ", 2003
4) बाबेल, बसन्ती लाल 2017 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स द्वितीय संस्करण "न्यायिक प्रक्रिया "
5) उपाध्याय, जय जय राम प्रशासनिक विधि से"ण्ट्रल लॉ एजेन्सी, दसवाँ संस्करण2014 ,

Disclaimer/Publisher's Note:
The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of JNGBU and/or the editor(s). JNGBU and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.

[vi] केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य1461 ०सी०एस ,1973 ०आर०आई०ए ,
[vii] डॉ० यू०पी०डी० केसरी25) 429 ०सं०पृ ,एडमिनेस्ट्रिव लॉ ,वाँ संस्करण(2016 ,
[viii] ए०आई०आर० 1982 एस०सी० 149
[ix] एस०पी० गुप्ता बनाम भारत संघ1982 ०सी०एस ,
[x] ए०आई०आर० 1997 एस०सी०3011 ,
[xi] 997 (3) ०आर०सी०एस 1989
[xii] ए०आई०आर० 2003 एस०सी० 3057
[xiii] 1369 ०आर०आई०ए 1979